भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2106**
**जिसका उत्तर बुधवार, 12 मार्च, 2025 को दिया जाएगा**

**खाद्य मुद्रास्फीति**

**2106. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**
**श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दालों और प्याज के लिए मूल्य स्थिरता और अनुकूल उत्पादन अनुमानों के दावों के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान अरहर दाल के उत्पादन में वृद्धि के मद्देनजर मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि वर्ष 2024 के दौरान प्याज उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के आवक को उपभोक्ता बाजारों में समय पर और कुशल तरीके से पहुंच सके जिससे कि कमी और मूल्य में उतार-चढ़ाव को रोका जा सके;
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं कि वर्ष 2025 के दौरान, विशेष रूप से घरेलू खाद्य कीमतों को प्रभावित करने वाली अनवरत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी व्यवधानों को देखते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी बनी रहे; और
(ङ) अरहर, प्याज सहित आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और जमाखोरी तथा सट्टा मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है?

**उत्तर**
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्री बी. एल. वर्मा)**

(क): जी नहीं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत भिन्नता द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में 6.02% है।

(ख) से (घ): तूर सहित दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने, मूल्य स्थिरीकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खरीद एजेंसियों, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के माध्यम से सीधी खरीद के लिए पूर्व-पंजीकरण शुरू किया है। 2024-25 के चालू खरीद सत्र में, नेफेड और एनसीसीएफ ने मिलकर अब तक 80,836 मीट्रिक टन तूर की खरीद की है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार दालों और प्याज के बफर स्टॉक को बनाए रखती है ताकि बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अंशाकित और लक्षित रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप किया जा सके। 2024-25 के दौरान, सरकार ने पीएसएफ बफर के लिए 4.70 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा। थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर से प्याज को अंशांकित और लक्षित तरीके से सितंबर से दिसंबर, 2024 के दौरान जारी किया गया था। प्रमुख उपभोग केंद्रों में स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच बफर से प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम पर वितरित किया गया था।

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नज़र रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य रुझानों की स्थिति की समीक्षा करती है एवं घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है। आईएमसी के विचार-विमर्श और नीतिगत सिफारिशों में वैश्विक परिदृश्य और घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बचाने के उपाय शामिल हैं।

(ङ): उपभोक्ता मामले विभाग 38 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है, जिनमें तूर दाल और प्याज की कीमतें भी शामिल हैं, ये कीमतें 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा दी जाती हैं, जिन्हें देश भर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित किया गया है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य रुझानों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, हितधारक संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे व्यापार नीति साधनों में बदलाव, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे उचित निर्णय लिए जा सकें।

*****